कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

(6)

क्र0/मा0चि0/ 2339 सिंगरौली, दिनांक 19/06/2018

प्रति,

महाप्रबंधक

एन.सी.एल दुधिचुआ परियोजना

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बैढ़न के वनखण्ड दुधीचुआ का रकवा 443.00 हे0 वनभूमि एवं ग्राम मेढ़ौली के विभिन्न खसरो की 24.809 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 467.809 हे0 वनभूमि में ओपन कास्ट कोयला उत्खनन मेसर्स नार्दन कोलफील्ड्स लिमि.को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन का पत्र क्रमांक F.No.8-57/2017-FC दिनांक 19.04.2018।

–000–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वनमण्डल सिंगरौली अन्तर्गत नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड दुधीचुआ ओपन कास्ट माईनिंग हेतु वन परिक्षेत्र बैढ़न के वनखण्ड दुधीचुआ का रकवा 443.00 हे0 वनभूमि एवं ग्राम मेढ़ौली के विभिन्न खसरो की 24.809 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 467.809 हे0 वनभूमि को प्रत्यावर्तित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार 10 वर्षीय बिगड़े वन की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि, सेफ्टी जोन एरिया की राशि, बिगड़े वनों का सुधार की राशि एवं एन.पी.व्ही की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0	मद का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	क्षतिपूरक वनीकरण	936.00	469294414/–	46929441/–	516223855/–
2.	सेफ्टीजोन एरिया	50.995	22228925/–	2222892/–	24451817/–
3.	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	467.809	375650627/–	–	375650627/
	योगः–		867173966/–	49152333/–	916326299/–

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रू 516223855/–(रू. इक्यावन करोड़ बासठ लाख तेईस हजार आठ सौ पचपन मात्र), सेफ्टी जोन एरिया की राशि रू. 24451817/ (रू. दो करोड़ चौंतालीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ सत्रह मात्र), एवं एन.पी.व्ही. की राशि रू. 375650627/– (रू. सैंतीस करोड़ छप्पन लाख पचास हजार छह सौ सताइस मात्र) कुल रू. **916326299**/–(रू. इक्यानबे करोड़ तिरसठ लाख छब्बीस हजार दो सौ निन्यानवे मात्र) होती है जिसमें से कैम्पा मद में **867173966**/–(रू. छियासी करोड़ इकहत्तर लाख तिहत्तर हजार नौ सौ छियासठ मात्र) भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा पर्वेक्षण शुल्क की राशि रू **49152333**/–(रू. चार करोड़ इक्यानबे लाख बावन हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की डी0डी0 वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली के नाम तैयार करा कर प्रस्तुत करें।

4. साथ ही प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया जा सके।

(ए.एस.तिवारी)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/मा0चि0/ 2340 सिंगरौली दिनांक 19/06/2018

प्रतिलिपिः–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली